''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2003—चैत्र 14, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, पदेन संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को पदेन संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री साहू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1964 के नियम 9 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मिश्र,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

क्रमांक एफ-10-4/2003/1/5.—राज्य शासन के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ के, नीचे उल्लिखित जिलों का नाम परिवर्तित कर निम्नानुसार किया जाता है :—

| स. क्र. | जिले का नाम | जिले का परिवर्तित नाम |
|---|---|---|
| 1. | कवर्धा | "कबीर धाम" |
| 2. | दन्तेवाड़ा | "दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा" |
| 3. | कांकेर | "उत्तर बस्तर कांकेर" |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पंकज द्विवेदी,** प्रमुख सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2003

क्रमांक 242/814/2003/1-8.—श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1-4-2003 से 10-4-2003 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 से 15-4-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री बाजपेयी के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग देखेंगी.

3. अवकाश अवधि में श्री बाजपेयी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेयी को पुनः सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेयी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**स्टीफन खलखो,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2003

क्रमांक 709/551/2003/साप्रवि/स्था.—श्री विवेक ढांड, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग को दिनांक 2-5-2003 से 15-5-2003 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17 एवं 18-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विवेक ढांड को आगामी आदेश तक सचिव, छ.ग. शासन पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री ढांड को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक ढांड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री विवेक ढांड के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री एम. के. राऊत, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

6. श्री विवेक ढांड द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राउत, सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के कार्य से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2003

क्रमांक 715/558/2003/साप्रवि/1/2.—श्री एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 7-4-2003 से 10-4-2003 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 6-4-2003 तथा अन्त में 11-4-2003 से 15-4-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने कार्य पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री ध्रुव को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव को कलेक्टर, कांकेर के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.

5. श्री ध्रुव के अवकाश काल में उनके कार्य, श्री एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर, बस्तर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2003

क्रमांक 727/616/साप्रवि/2003/1/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-4-2003 से 10-4-2003 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6-4-2003 एवं 11, 12, 13, 14 एवं 15-4-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती शर्मा को अवकाश काल में वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

4. श्रीमती शर्मा को अवकाश से लौटने पर संयुक्त सचिव के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी**, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2003

क्रमांक डी/1845/21 - अ/स्था./2003/छ.ग.—श्री उमेश कुमार काटिया, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर वेतनमान रुपये 10,000 325 -15ए200 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

क्रमांक डी/1845/21 - अ/स्था./2003/छ. ग.—श्री ई. व्ही. रुपेरी, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325 15,200 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद पर तदर्थ पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. तदर्थ पदोन्नति के आधार पर तदर्थ पदोन्नत कर्मचारी अपने संवर्ग में वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा, संवर्ग में वरिष्ठता नियमित पदोन्नति के आधार पर होगी.

4. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नतियों का नियमितीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4-3/2001/3/एक, दिनांक 1-1-2002 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. के. एस. राजपूत**, सचिव.

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2003

क्रमांक 1033/1221/व्हीआईपी/2002/सत्रह.—राज्य शासन एतद्द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल, जिला बस्तर, 30 विस्तर

अस्पताल का नामकरण "स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन" के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2003

क्रमांक 1035/303/मं./2003/सत्रह.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा के 30 बिस्तर अस्पताल का नामकरण "स्व. कुंवर भुवन भास्कर सिंह" के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण कुमार ध्रुव**, अवर सचिव.

---

## कृषि विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2003

क्रमांक 3256/डी. 15/138/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ग्राम भुरकोनी, विकासखंड पिथौरा, तहसील एवं जिला महासमुंद में स्थित खसरा नं. 814 एवं खसरा नं. 815 की 2.43 हेक्टेयर भूमि को उपमंडी प्रांगण के रूप में घोषित करती है, जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में की गई संरचना, आहता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है. उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशन की जा चुकी है.

उपमण्डी प्रांगण का सीमाएं :—

(1) उत्तर में - तेन्दुकोना बुंदेली मार्ग
(2) दक्षिण में - कृषि भूमि
(3) पूर्व में - आबादी भूमि
(4) पश्चिम में - कृषि भूमि

Raipur, the 12th March 2003

No. 3256/D. 15/138/2002/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare 2.43 hectare land Khasra No. 814 & 815 in Village Bhujkoni Block Pithora, Tehsil of District Mahasamund including any structure, enclosure, open place or locality in market area, as a sub market yard. The Notification under Section 3 and 4 of the said Act has been published previously.

Boundaries of Sub-Market yard :—

(1) On the North by - Tendukona-Bundeli Road
(2) On the South by - Agriculture land
(3) On the East by - Abadi land
(4) on the West by - Agriculture land

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एल. जैन**, उप-सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2003

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग-1, सेक्शन 1 के सरल क्रमांक-3, 4 एवं 5 के अंतर्गत प्रत्यायोजित की गई, शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर को आयोग के वित्तीय दायित्वों के निर्वहन एवं नियंत्रण के लिए कार्यालय प्रमुख/नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करता है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोहर पाण्डे,** संयुक्त सचिव.

---

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

संशोधित अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक 416/1842/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1603/817/02/11/वा. उ. दिनांक 2-7-2002 द्वारा मेसर्स बाल्को केप्टिव पावर प्लांट कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3695 को अधिनियम की धारा 6 (सी) के तहत दिनांक 26-6-2002 से 25-11-2002 तक दी गई छूट के स्थान पर दिनांक 26-5-2002 से 25-10-2002 तक पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक 441/1889/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 09-12-2002 से दिनांक 08-01-2003 तक के लिए एक माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2003

क्रमांक 625/245/03/(6)/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3210 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 8-2-2003 से दिनांक 7-9-2003 तक के लिए 7 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट को मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**महिपाल सिंह धुर्वे**, विशेष सचिव.

---

## श्रम विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक एफ 11-12/16/02.—राज्य शासन एतद्द्वारा मणिसाना वेतन बार्ड की सिफारिशों के राज्य में क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समिति का गठन करती है. निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य होंगे :—

1. माननीय श्रम मंत्री जी : अध्यक्ष

2. शासकीय प्रतिनिधि
   1. आयुक्त जनसंपर्क : सदस्य
   2. श्रमायुक्त : सचिव
   3. संचालक जनसंपर्क : सदस्य

3. नियोजक प्रतिनिधि
   1. श्री शरद जैन, उपाध्यक्ष
      देशबन्धु समाचार पत्र
      रामसागरपारा, रायपुर : सदस्य

2. श्री अंनल प्रसाद शुक्ल, : सदस्य
संपादक, नवभारत, रायपुर
3. श्री बंबन प्रसाद मिश्र, : सदस्य
स्थानीय संपादक, दैनिक भास्कर

4. कर्मचारियों के प्रतिनिधि
1. श्री कृष्णकांत दास, : सदस्य
स्थानीय संपादक, हितवाद
2. श्री रवि भोई, : सदस्य
स्थानीय संपादक, रायपुर
3. श्री मोहन राव, : सदस्य
स्थानीय संपादक, रायपुर
4. श्री रूचिर गर्ग, : सदस्य
स्थानीय संपादक, रायपुर

5. गैर-पत्रकार प्रतिनिधि
श्री पन्नालाल गौतम, : सदस्य
प्रबंधक, स्वदेश, समता कालोनी,
रायपुर.

समिति के अशासकीय सदस्य बैठक में भाग लेने के लिये राज्य शासन के 18-शीर्ष 2230 श्रम और नियोजन (योजना) 01, औद्योगिक संबंध 001 श्रम विधि, 03 के अधीन नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे.

Raipur, the 25th March 2003

No. F 11-12/16/02.—The State Government hereby constitute Triparty Committee for implementation of recommendation of the Manisana Wage Board. Following persons are the members of the Committee :—

1. Hon'ble Labour Minister : Chairperson

2. Representative of Government
1. Commissioner Public Relation : Member
2. Labour Commissioner : Secretary
3. Director, Public Relation : Member

3. Representative of Employers
1. Shri Sharad Jain, Vice President : Member
Deshbandhu Samachar Patra
Ramsagar Para, Raipur
2. Shri Anal Prasad Shukla : Member
Editor, Nav Bharat, Raipur
3. Shri Baban Prasad Mishra, : Member
Local Editor, Dainik Bhaskar

4. Representative of Employees

| | | |
|---|---|---|
| 1. Shri Krishnakant, Das<br>Local Editor, Hitwada | : | Member |
| 2. Shri Ravi Bhoi,<br>Local Editor, Raipur | : | Member |
| 3. Shri Mohan Rao,<br>Local Editor, Raipur | : | Member |
| 4. Shri Ruchir Garg,<br>Local Editor, Raipur | : | Member |

5. Representative of Non-Journalist

| | | |
|---|---|---|
| Shri Pannalal Goutam,<br>Manager, Swadesh,<br>Samata Colony, Raipur. | : | Member |

Non Government Members of the Committee are entitled for T.A. & D.A.as per the Government rules under(18-Head 2230 Shram & Employment (Planning) 01 Industrial Relation 01 Labour Laws 03 for attend the meeting.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. मूर्ति,** सचिव.

---

## गृह विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक एफ 6-11/गृह/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के तहत राजधानी रायपुर में शासकीय आवासों के कार्य संपादन हेतु 1-4-2003 से संपदा संचालनालय गठित करता है. ''जी'', ''एच'' एवं ''आई'' श्रेणी तथा समय-समय पर सौंपे गये अन्य श्रेणी के शासकीय आवासों का आवंटन संचालक, संपदा संचालनालय की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार आवंटन समिति की अनुशंसा से किया जायेगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. संचालक, संपदा संचालनालय | - | अध्यक्ष |
| 2. गृह विभाग के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग<br>द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री. | - | सदस्य |
| 4. आवंटन अधिकारी | - | सचिव |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. डी. कावरे,** अवर सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 जनवरी 2003

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अम्बिकापुर | बरगई | 1.622 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर. | करेया वितरक नहर के बरगई माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 जनवरी 2003

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/1990-1991.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अम्बिकापुर | गेरसा | 2.812 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर. | गेरसा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक 5/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सामरी | डीपाडीहकला | 0.266 | कार्यपालन यंत्री, लोक नि. वि. (सेतु निगम) उप संभाग, अंबिकापुर. | डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक 6/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सामरी | करमोउरांव टोली | 1.383 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निगम) उप संभाग, अंबिकापुर. | डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक 9/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | पाल | पचावल | 0.744 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निगम) उप संभाग, अंबिकापुर. | सनावल पचावल मार्ग पर पागम सेतु पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अम्बिकापुर | नुनेरा | 1.090 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. | रिखी जलाशय योजना के नुनेरा मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

रा. प्र. क्र. 16/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | लुण्ड्रा | नवडीहा | 1.500 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन. क्रमांक-1, अंबिकापुर. | गगोली उद्वहन योजना के नवडीहा माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अम्बिकापुर | नानदमाली | 0.546 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर. | बरनई नहर प्रणाली के मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 जनवरी 2003

रा. प्र. क्र. 35/अ-82/1990-1991.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | अम्बिकापुर | कालापारा | 0.182 | कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर. | श्याम घुनघुट्टा परियोजना के नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक कुमार देवांगन**, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1550/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | पुरैना | 0.84 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के अंतर्गत पुरैना मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1551/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | खैरा<br>प. ह. नं. 67/7 | 0.03 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के अंतर्गत खैरा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1552/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मनकी<br>प. ह. नं. 67/6 | 6.21 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1553/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | विष्णुपुर प. ह. नं. 67/6 | 60.18 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1554/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | खुड़मुड़ी प. ह. नं. 67/7 | 0.11 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के अंतर्गत खुड़मुड़ी मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्रमांक 1555 भू अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | बिल्हारी प. ह. नं. 67/7 | 0.54 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | मनकी जलाशय के अंतर्गत बिल्हारी मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2003

क्रमांक 1639/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | मोहला | पाऊरखेड़ा प. ह. नं. 8 | 32.33 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | देवरसुर जलाशय बांध एवं उलट नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2003

क्रमांक 1640/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | मोहला | देवरसुर प. ह. नं. 30 | 25.90 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. | देवरसुर जलाशय बांध एवं उलट नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2003

क्रमांक 1645/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | खैरागढ़ | पिरचाटोला प. ह. नं. 24 | 8.00 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | पिपरिया जलाशय नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | ग्राम-बरौदा प.ह.नं. 16 | 0.777 | महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र. | कोयला उत्खनन कार्य हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 02/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | ग्राम बिजारी प.ह.नं. 26 | 21.198 | महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र. | कोयला उत्खनन कार्य हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 मार्च 2003

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | साजा | गाडाडीह प.ह.नं. 36 | 3.98 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | गाडाडीह जलाशय के डुबान में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केसरी**, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम सियादेही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 84 | 0.249 |
| 87 | 0.038 |
| 81 | 0.120 |
| 80 | 0.062 |
| योग | 0.469 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है लहभुनवाही जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2-11-2002

क्र. क/भू अर्जन/2 अ 82/2000 2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम गट्टा सिलकी, मा. गु.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 2.86 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 187 | 0.16 |
| 888 | 0.16 |
| 893 | 0.47 |
| 894 | 0.39 |
| 897 | 0.24 |
| 898 | 0.25 |
| 900 | 0.38 |
| 845 | 0.60 |
| 813 | 0.21 |
| योग | 2.86 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - मोहन नाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2-11-2002

क्र. क/भू-अर्जन/3 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला धमतरी
- (ख) तहसील नगरी
- (ग) नगर/ग्राम जोराडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 7.05 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 26 | 0.16 |
| 40 | 0.11 |
| 32 | 0.13 |
| 24 | 0.78 |
| 15 | 0.05 |
| 17 | 0.22 |
| 16 | 0.18 |
| 20 | 0.20 |
| 10 | 0.66 |
| 9 | 1.04 |
| 8 | 0.08 |
| 7 | 0.39 |
| 5 | 0.57 |
| 39 | 0.30 |
| 42 | 0.67 |
| 44 | 0.49 |
| योग | 7.05 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहन नाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002.

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ 82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-सरईटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.16 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 336 | 0.33 |
| 332 | 0.10 |
| 335 | 0.07 |
| 330 | 0.05 |
| 76 | 0.20 |
| 333 | 0.07 |
| 326 | 0.12 |
| 77 | 0.28 |
| 78 | 0.09 |
| 45 | 0.11 |
| 49 | 0.19 |
| 50 | 0.08 |
| 51 | 0.10 |
| 324 | 0.02 |
| 52 | 0.22 |
| 38 | 0.69 |
| 34 | 0.41 |
| 14 | 0.18 |
| 109 | 0.57 |
| 111 | 0.34 |
| 117/1 | 0.36 |
| 8 | 0.66 |
| 7 | 0.19 |
| 6 | 0.73 |
| योग | 6.16 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोहान नाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-दुधवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 530 | 0.07 |
| 544 | 0.01 |
| 526 | 0.08 |
| 545 | 0.04 |
| 525 | 0.05 |
| 519 | 0.10 |
| 518 | 0.07 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 514 | 0.03 |
| 513 | 0.03 |
| 508 | 0.08 |
| 511 | 0.05 |
| 504 | 0.04 |
| 503 | 0.05 |
| 501 | 0.04 |
| 500 | 0.05 |
| 472 | 0.06 |
| 473 | 0.05 |
| 459 | 0.04 |
| 457 | 0.02 |
| योग | 0.96 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह उद्‌वहन-सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 1 निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम गांड़ाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 106 | 0.05 |
| 55 | 0.04 |
| 52 | 0.05 |
| 51 | 0.12 |
| 41 | 0.06 |
| 42 | 0.04 |
| 40 | 0.06 |
| 44 | 0.04 |
| 25 | 0.02 |
| 45 | 0.18 |
| 101 | 0.02 |
| 102 | 0.05 |
| 103 | 0.03 |
| 107 | 0.07 |
| 153 | 0.05 |
| 152 | 0.02 |
| 108 | 0.02 |
| 150 | 0.06 |
| 148 | 0.02 |
| 173 | 0.04 |
| 141 | 0.01 |
| योग | 1.05 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह उद्‌वहन-सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 3 एवं 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-कुरूद

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 301 | 0.02 |
| 299 | 0.12 |
| 300 | 0.14 |
| 298 | 0.08 |
| 297/2 | 0.01 |
| 297/1 | 0.04 |
| 331 | 0.06 |
| 742 | 0.04 |
| 336 | 0.04 |
| 337 | 0.04 |
| 338 | 0.06 |
| 344 | 0.02 |
| 738 | 0.02 |
| 736 | 0.04 |
| 731 | 0.04 |
| 730 | 0.05 |
| 928 | 0.03 |
| 929 | 0.06 |
| 930 | 0.04 |
| 933 | 0.05 |
| 934 | 0.05 |
| 1036 | 0.04 |
| 1038 | 0.02 |
| 1039 | 0.02 |
| योग | 0.99 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अमलीडीह उद्वहन-सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-कुरूद

(ग) नगर/ग्राम-कुल्हाड़ीकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 9 | 0.04 |
| 11 | 0.03 |
| 3 | 0.11 |
| 12 | 0.04 |
| 2 | 0.04 |
| योग | 0.26 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है अमलीडीह उद्वहन-सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-कुरूद

(ग) नगर/ग्राम-आमाचानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 209 | 0.06 |
| 208 | 0.10 |
| 205 | 0.03 |
| 195 | 0.16 |
| 194 | 0.06 |
| 187 | 0.02 |
| 193 | 0.03 |
| 206 | 0.07 |
| 186 | 0.02 |
| योग | 0.55 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह उद्वहन-सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बी. एल. ठाकुर,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.